कायालय निदेशक, माध्यामेक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4352/02 दिनांक : 06/11/2017

समस्त उप निदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग

विषयः दहेज प्रतिषेध अधिनियम –2004 के अन्तर्गत नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के दहेज संबंधी घोषणा पत्र की सूचना बाबत्

प्रसंगः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 15()सा.सू.म.क./सान्याअधि/17–18 दिनांक 14.9.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम मे राजस्थान दहेज प्रतिषेध अधिनियम –2004 के नियम–6, उप नियम –4(1) मे यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के पश्चात् यह कथन करते हुए विभागाध्यक्ष को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है । उक्त घोषणा पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी । अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों में नवनियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों से दहेज संबंधी घोषणा पत्र की सूचना प्राप्त करने हेतु संलग्न प्रपत्र भिजवाते हुवे लेख है निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त कर निम्न प्रारूप में जिलेवार समेकित सूचना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करावें ताकि समेकित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें ।

कार्यालय का नाम	स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियो की कुल संख्या	पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या	दहेज न लेने के शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारियो/कर्म चारियो की संख्या	शेष अधिकारियों/कर्मचारियों से शपथ पत्र कब तक प्राप्त कर लिया जावेगा ।
1	2	3	4	5

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अतिरिक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बारां

फोन.&फैक्स न.–07453–230601,, 07453–230233, ई–मेल आईडी– deobaran@gmail.com

कमांकः– जिशिअ/मा/बारा/शैप–2/2017/ 206 दिनांकः– 10/11/17

समस्त संस्थाप्रधान
राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि..

मूल पत्र भेजकर लेख है कि श्रीमान निदेशक महोदय बीकानेर के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं सूचना स्थानीय कार्यालय को भी उपलब्ध करावे।

10/11/17
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक बारां

घोषणा पत्र

मैं ....

....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि ....

....विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक ....दिनांक......................................में...

....के पद पर हुई है।

मेरा विवाह दिनांक ....को हुआ है। विवाह के समय मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया है/ना ही दहेज दिया। भविष्य में दहेज लिये जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्त्ता ....

....को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिये मैं प्रार्थी पूर्ण जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान :- (नाम ....)

दिनांक :- घोषणा – कर्ता

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(पत्नी)	(पिता)	(ससुर)

साक्षी –

ससुराल पक्ष की ओर से

1. हस्ताक्षर
   नाम ....
   पता.......................................
   ....
2. हस्ताक्षर
   नाम ....
   पता.......................................

पिता पक्ष की ओर से

1. हस्ताक्षर
   नाम...............................
   पता ....
   ....
2. हस्ताक्षर
   नाम
   पता ....

D:\Ramnarayan ji\Dowry file\dowry.docx

www.rajteachers.com